



2026:AHC:57101

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 10427 वर्ष 2026

श्रीमती चांदनी और एक अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: फूल चंद्र, संतोष कुमार

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 81

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता और राज्य प्रतिपक्षी के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विजय कुमार श्रीवास्तव को सुना गया।
2. वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्तागण ने परमादेश रिट के माध्यम से प्रतिपक्षी को उनके शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न करने का निर्देश देने और सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देने की प्रार्थना की है।
3. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि याचिकाकर्ता बालिग हैं और उन्होंने 07.03.2026 को रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह संपन्न किया है। उन्होंने आगे बताया कि यह उनका पहला विवाह है। उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में उनके खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है और उनका विवाह उनकी स्वतंत्र सहमति से, बिना किसी दबाव के संपन्न हुआ है। याचिकाकर्तागण पर यह भी आरोप लगाया गया है कि विवाह संपन्न करने के कारण प्रतिपक्षी द्वारा उन्हें धमकाया और परेशान किया जा रहा है।
4. **लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2006 सीआर.एल.जे 3309** प्रकरण में, अंतरजातीय विवाह करने वाले लड़के और लड़की के माता-पिता द्वारा उत्पीड़न के प्रकरण पर विचार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर के प्रशासन/पुलिस अधिकारियों को निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"यह एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश है, और एक बार जब कोई व्यक्ति बालिग हो जाता है, तो वह जिससे चाहे उससे विवाह कर सकता है। यदि लड़के या लड़की के माता-पिता ऐसे अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाह को स्वीकार नहीं करते हैं, तो वे अधिकतम यह कर सकते हैं कि वे बेटे या बेटी से सामाजिक संबंध तोड़ लें, लेकिन वे धमकी नहीं दे सकते, हिंसा नहीं कर सकते या हिंसा को उकसा नहीं सकते और ऐसे अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाह करने वाले व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकते। इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि देश भर के प्रशासन/पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि यदि कोई बालिग लड़का या लड़की किसी बालिग महिला या पुरुष से अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाह करता है, तो दंपति को किसी भी प्रकार से परेशान न किया जाए।" न ही उन्हें धमकियों या हिंसा के कृत्यों का शिकार बनाया जाएगा, और जो कोई भी ऐसी धमकियां देता है या उत्पीड़न करता है या हिंसा के कृत्य करता है, चाहे स्वयं या उसके उकसावे पर, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस द्वारा आपराधिक कार्यवाही शुरू करके उन्हें दंडित किया जाएगा और कानून द्वारा निर्धारित अनुसार ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी।"

5. भगवान दास बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली), (2011) 6 एससीसी 396 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तर 28 और 29 में निम्नलिखित निर्णय दिया:-

"28. अक्सर प्यार में पड़े युवा जोड़ों को मनमानी न्यायालयों के प्रकोप से बचने के लिए पुलिस लाइन या सुरक्षा गृहों में शरण लेनी पड़ती है। हमने लता सिंह प्रकरण में कहा है कि "सम्मान" हत्या, में कुछ भी "सम्मानजनक" नहीं है, और ये कट्टर और सामंती मानसिकता वाले व्यक्तियों द्वारा की गई बर्बर और क्रूर हत्याएं हैं। हमारी राय में, सम्मान हत्या, चाहे किसी भी कारण से हो, मृत्युदंड के योग्य दुर्लभतम प्रकरण की श्रेणी में आती है। अब समय आ गया है कि इन बर्बर, सामंती प्रथाओं को जड़ से खत्म किया जाए जो हमारे राष्ट्र पर कलंक हैं। इस तरह के घृणित, असभ्य व्यवहार को रोकने के लिए यह आवश्यक है। "सम्मान" हत्या करने की योजना बना रहे सभी व्यक्तियों को पता होना चाहिए कि फांसी उनका इंतजार कर रही है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



29. इस आदेश की एक प्रति भेजी जाए सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल/रजिस्ट्रार इसे सभी न्यायाधीशों को भेजेंगे। उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल/रजिस्ट्रार इसकी प्रतियां सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सत्र न्यायाधीशों/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों को भी भेजेंगे। निर्णय की प्रतियां देश के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों/गृह सचिवों/पुलिस महानिदेशकों को भी भेजी जाएंगी। गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक इसे सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सूचना के लिए भेजेंगे।“

6. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी पूर्व टिप्पणियां और निर्देश उत्तर प्रदेश राज्य में लागू किए जा रहे हैं और इस स्तर पर इस न्यायालय द्वारा कोई और निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि याचिकाकर्तागण की यह मात्र आशंका है कि निजी प्रतिपक्षी उनके साथ हिंसा कर सकते हैं या उन्हें परेशान कर सकते हैं।

7. प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, लेकिन प्रकरण की खूबियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रिट याचिका का अंतिम निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि याचिकाकर्ता विवाहित जोड़े के रूप में एक साथ रहने के लिए स्वतंत्र हैं और किसी भी व्यक्ति को उनके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि याचिकाकर्तागण के शांतिपूर्ण जीवन में कोई बाधा उत्पन्न होती है, तो याचिकाकर्ता इस आदेश की एक प्रति के साथ संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक से संपर्क करेंगे, जो प्रकरण की जांच करेंगे और याचिकाकर्तागण को तत्काल सुरक्षा प्रदान करेंगे। पुलिस प्राधिकरण यह भी सुनिश्चित करेगा कि यदि किसी निर्दोष व्यक्ति ने याचिकाकर्तागण के शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं की है, तो उसे परेशान या अपमानित न किया जाए।

8. याचिकाकर्तागण को यह भी निर्देश दिया जाता है कि दिनांक 07.03.2026 को हुए विवाह का पंजीकरण आज से दो महीने के भीतर उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार कराया जाए और यदि याचिकाकर्ता निर्धारित समय के भीतर विवाह का पंजीकरण नहीं कराते हैं तो यहां दी गई सुरक्षा समाप्त हो जाएगी।

9. इस स्तर पर, याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि याचिकाकर्तागण ने अपने विवाह के पंजीकरण के लिए पहले ही आवेदन कर दिया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने विवाह की वैधता और/या याचिकाकर्तागण द्वारा दावा किए गए विवाह प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता या याचिकाकर्तागण की सही आयु पर कोई निर्णय नहीं दिया है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश याचिकाकर्तागण को कानून के अनुसार शुरू की गई किसी भी कार्रवाई या कार्यवाही से बचाने के लिए पारित नहीं किया गया है।

11. चूंकि याचिका का प्रारंभिक चरण में ही निस्तारण किया जा रहा है, इसलिए इससे व्यथित कोई भी व्यक्ति इसे वापस लेने के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र है, यदि आदेश तथ्यों को छुपाकर या छिपाकर या झूठे कथनों के आधार पर प्राप्त किया गया है।

12. हालांकि, यह आदेश पुलिस अधिकारियों के समक्ष लंबित किसी भी विवेचना में बाधा नहीं डालेगा।

13. पूर्व टिप्पणियों के साथ रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

19 मार्च, 2026

नितेंद्र